13/2/24 पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्ट ने
अपनी बहस में निवेदन किया कि ग्राम
बोलेण्डी की खाता सं. 76 पर दर्ज आ. नं.
33 रकबा 0.2900 हैक्टर अपीलान्ट कि
अपीलान्ट की तन्हा खातेदारी में दर्ज होकर
अपीलान्ट अपनी उक्त आराजीयात पर काबिज
होकर काश्त कर रहा है, ग्राम नवाखा बोलेण्डी
में मुख्य अपीलान्ट यानि बाबत के नाम का
एक और व्यक्ति निवास करता था। जिसका
नाम भी बाबत सिंह मेरा मीणा था। राजस्व
कर्मचारियो ने गलती से अपीलान्ट की खाता
सं. 76 के वर्णित आ.नं. का रेस्पोन्डेन्ट 1 से 8
के नाम नामा. खोल दिया जबकि खाता सं.
76 के मूल खातेदार अपीलान्ट वर्तमान
में जीवित होकर उनकी आराजीयात पर
काबिज है, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा
बिना विधिक जांच किये वारिसान की त्रुटि
पूर्ण जांच के खोला गया ना.नं. 107 दिनांक
20.9.2017 को निरस्त कराते हुये पूर्व
स्थिति [illegible] नामे का आदेश
फरमाया [illegible]
[illegible] पर
मनन किया। वकील के कथ. नामान्तरण का
व पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपील
में रेस्पोन्डेन्टस सं. 1 लगायत 10 बावजूद
सूचना के अनुपस्थित रहने से। ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.03.01 14:51:50 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पारसोली द्वारा त्रुटिपूर्ण नामा. को बिना विधिवत पारिसान की जाँच किये किसी भाग का स्वीकृत किया है जो निरस्त होने योग्य होने से रेटी से प्रस्तुत किये गये प्र.पत्र को क्षमत्य करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत पारसोली द्वारा खोले गये नामा. क्र. 107 दिनांक 20.9.17 को निरस्त किया जाता है. दिनांक 20.9.17 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे

निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बडीसादड़ी को प्रेषित की जावे

निर्णय खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुदा होकर नियम से कक्ष हो.

उपखण्ड अधिकारी
(चित्तौड़गढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bindu Bala Rajawat
Date: 2024.03.01 14:51:50 IST
Reason: SelfAttested